उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-72/2019/978/92-2-19-03टीएसी/17(टीसी-2)
लखनऊ :: दिनांक:: 09 मई 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वर्ष 2015-16 में जनपद बस्ती में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं सामुदायिक केन्द्रो के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 30-11-2018 व 15-02-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति व अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री आर0पी0 चौधरी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-बस्ती सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-72/2019/978(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र सं0-जी-96/पीए-सीटीई/2806-120-158-118/06/17-18 दि0 30-11-2018 व पत्र सं0-जी-126/पीए-सीटीई/2806-120-158-118/06/17-18 दि0 15-02-2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री आर0पी0 चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर 03 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता,ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बस्ती।

4- श्री आर0पी0 चौधरी, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बस्ती सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in